अध्यक्ष महोदय : "शेम" का क्या सवाल है ? कुछ हद होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ रिगार्ड होना चाहिए । क्या यह कोई कायदा है ? (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : क्या प्रधान मंत्री हम लोगों का लिहाज करती हैं ? उनका इस तरह चले जाना कोई कायदा है ? (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री को बुलाया जाये । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उन को हाउस से माफ़ी मांगनी चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह बात दुरुस्त नहीं है कि जब मैं इधर देख रहा हूं और बोल रहा हूं, तो पांच छः मेम्बर इकट्ठे खड़े हो कर इस तरह बोलें । यह भी हाउस की अवहेलना है और चेयर की अवहेलना है ।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० लोहिया के सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि मेरी तरफ़ से प्राइम मिनिस्टर को कोई ख़ास अधिकार देने का सवाल पैदा नहीं होता है । डा० लोहिया ने कहा है कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को कोई ख़ास, विशेष अधिकार नहीं हैं कि जिसकी वजह से किसी दूसरे को रुकना पड़े—कांस्टीट्यूशन के मुताबिक उन को कोई ऐसी फ़ैसिलिटी नहीं मिली हुई है, जिसका वह इस्तेमाल करें । माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस बारे में अपना फ़ैसला दूं कि आया उनको यह अधिकार है या नहीं । उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि मैं उनको कोई अधिकार न दूं । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह मेरा काम नहीं है कि मैं कांस्टीट्यूशन का तर्जुमा करूं और यह फ़ैसला करूं कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को यह अधिकार है या नहीं । अगर वह समझते हैं कि उनको कोई अधिकार है या नहीं है, तो यह उनकी राय हो सकती है । लेकिन यह फ़ैसला देना कि आया उनको कोई अधिकार है या नहीं, यह कोर्ट का काम होगा । अगर डा० लोहिया यह समझते हैं कि कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट या लेटर या कोई चीज़ भंग हुई है, तो वह कोर्ट में जा कर फ़ैसला ले सकते हैं । मैं कोई फ़ैसला नहीं दे सकता हूं । मैं नहीं समझता हूं कि कोई ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, . . . (**व्यवधान**)

Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Leader of the House express regret for what has happened? That is the least that he can do.... (*Interruptions*).

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): My own impression is perhaps she did not notice that you were standing. But I am certainly sending word to her as to what the House has felt. She might come and express regret to the House.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, आप ही इस हाउस की मर्यादा का रक्षण कर सकते हैं—और कोई नहीं कर सकता है (**व्यवधान**) ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, . . . (**व्यवधान**)

श्री यशपाल सिंह: जब तक प्रधान मन्त्री जी यहां न आयें, इस हाउस की कार्यवाही बन्द रखी जाये । उन्होंने इस हाउस की अवहेलना की है, स्पीकर साहब की अवहेलना की है । स्पीकर साहब के सिवा और कोई हमें रक्षण नहीं दे सकता है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । श्री फखरुद्दीन अहमद ।

12.46 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

BUDGET ESTIMATES OF DAMODAR VALLEY CORPORATION

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): I beg to lay on the Table a copy of the Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the year 1966-67, under sub-section (3) of section 44 of the Damodar Valley Corporation

Act, 1948. [*Placed in Library.* See No. LT-5871/66].

ANNUAL REPORT ON WORKING OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL UNDERTAKINGS OF CENTRAL GOVERNMENT

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the working of Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government for the year 1964-65. [*Placed in Library. See* No. LT-5872/66].

DELHI SALES TAX (AMENDMENT) RULES 1966, NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962, etc.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table—(1) A copy of the Delhi Sales Tax (Amendment) Rules 1966 published in Notification No. F. 3(6)/65-Fin. (E) in Delhi Gazette dated the 10th March, 1966 under sub-section (4) of section 26 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as in force in the Union Territory of Delhi. [*Placed in Library. See* No. LT-5873/66].

(2) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:

(i) The Denatured Spirit (Ascertaining and Determining) Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 281 in Gazette of India dated the 26th February, 1966.

(ii) G.S.R. 294 published in Gazette of India dated the 1st March, 1966.

(iii) G.S.R. 295 published in Gazette of India dated the 1st March, 1966.

(iv) G.S.R. 296 published in Gazette of India dated the 1st March, 1966.

(v) G.S.R. 320 published in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(vi) G.S.R. 321 published in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(vii) The Manufacture in Customs Bond (General) Fourth Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 322 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(viii) The Manufacture in Customs Bond (General) Third Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 323, in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(ix) G.S.R. 324 published in Gazette of India dated the 5th March, 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-5874/66].

3. A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excise and Salt Act, 1944:

(i) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirtieth Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 313 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(ii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-first Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 314 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(iii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-second Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 315 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(iv) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-third Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 316 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

(v) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-fourth Amendment Rules, 1966 published in Notification No.